



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800 023

का.आ. सं.-

पटना, दिनांक-

सूचना

ज्ञातव्य है कि दिनांक-07.09.2015 से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत उद्योगों के 'स्थापनार्थ सहमति' (एन.ओ.सी.) एवं 'संचालनार्थ सहमति' हेतु आवेदन एवं आवेदन शुल्क ऑनलाईन प्राप्त किया जा रहा है। नयी व्यवस्था से अवगत होने एवं उद्योगियों की सुविधा हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान तात्कालिक रूप से ऑनलाईन के साथ-साथ ऑफलाईन (Bank Draft) द्वारा भी स्वीकार करने की व्यवस्था की गयी थी।

इस संबंध में निर्णय किया गया है कि दिनांक-15.01.2016 से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा उद्योगों के 'स्थापनार्थ सहमति' (एन.ओ.सी.) एवं 'संचालनार्थ सहमति' हेतु आवेदन शुल्क का भुगतान सिर्फ ऑनलाईन ही प्राप्त किया जायेगा तथा इसका भुगतान किसी भी Bank के Credit Card/Debit Card/Net Banking द्वारा किया जा सकता है।

ह0/-

(ए.के. ओभा)

सदस्य-सचिव.

ज्ञापांक:

पटना, दिनांक:

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय पदाधिकारी, बेगूसराय/मुजफ्फरपुर/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0/-

(ए.के. ओभा)

सदस्य-सचिव.

ज्ञापांक: 1448

पटना, दिनांक: 30/12/15

प्रतिलिपि: श्री जे.के.पी. सिंह, सिस्टम एनालिस्ट, को पर्षद् की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(ए.के. ओभा)

सदस्य-सचिव.